जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली—

प्रेस विज्ञप्ति 02.10.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गोकशी की घटना में वांछित 25000/- रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त पुलिस कार्यवाही में आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर 01 खोखा, 02 जिंदा कारतूस व 01 स्कूटी बरामदः-

दिनांक 01.10.2025 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गौकशी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अब्दुल पुत्र खुर्शीद निवासी मोहल्ला आज़ाद चौक, काज़ीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को ग्राम खेड़करमू के जंगल में हुई पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 02 ज़िंदा कारतूस 315 बोर तथा एक स्कूटी संख्या UP19J-1148 बरामद हुई है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अब्दुल पुत्र खुर्शीद निवासी मोहल्ला आज़ाद चौक काज़ीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

2. एक स्कूटी संख्या UP19J-1148।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 147/2004 धारा 147/188/336/506 भादवि व 7 सीएलए अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 1342/06 धारा 352/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 1113/2007 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 90/2007 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 392/2008 धारा 307/323/504 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 363/2009 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 813/2010 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 420/2012 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
9.मु0अ0सं0 408/2012 धारा 13 जुआं अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
10.मु0अ0सं0 407/2016 धारा 147/148/149/307/323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
11.मु0अ0सं0 522/2016 धारा 147/148/149/307/323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
12.मु0अ0सं0 815/2017 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
13.मु0अ0सं0 816/2019 धारा 147/323/332/336/353/427 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
14.मु0अ0सं0 1521/2019 धारा 147/148/149/195/308/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
15.मु0अ0सं0 229/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
16.मु0अ0सं0 196/2025 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
17.मु0अ0सं0 513/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02.10.2025 को पुलिस लाइन शामली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक जनपद शामली श्री एन0पी0 सिंह ने की।

कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रातः प्रार्थना एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। तत्पश्चात पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति की धुन प्रस्तुत की गई जिससे पूरे वातावरण में देशभक्ति की भावना व्याप्त हो गई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने गांधी जी एवं शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन कर सामूहिक **शपथ ग्रहण** कराया गया, जिसमें सभी अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने संकल्प लिया कि वे महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलते हुए सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और सेवा भाव से कार्य करेंगे। साथ ही यह भी शपथ ली गई कि समाज में शांति, सौहार्द और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और जनमानस का विश्वास अर्जित करेंगे। अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि महात्मा गांधी का सम्पूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, सेवा और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अन्याय और अत्याचार का मुकाबला बिना हिंसा के भी किया जा सकता है। गांधी जी का विचार *"सादा जीवन उच्च विचार"* आज भी हमें प्रेरित करता है।

श्री एन0पी0 सिंह ने आगे कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सादगी और ईमानदारी का अनुपम उदाहरण है। उनका दिया गया उद्घोष *"जय जवान, जय किसान"* सदैव प्रासंगिक रहेगा और हमें राष्ट्र के निर्माण में जवानों एवं किसानों के महत्व का स्मरण कराता है। उन्होंने पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इन दोनों महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस को पूरी निष्ठा, सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी का सत्य एवं अहिंसा का संदेश हमें नागरिकों के साथ संवाद एवं विश्वास की संस्कृति विकसित करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गांधी जी के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायी घटनाओं का उल्लेख किया गया। साथ ही शास्त्री जी के सादगीपूर्ण जीवन, संघर्षों और देशहित में उनके योगदान को भी विस्तार से याद किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शामली, क्षेत्राधिकारीगण, थाना/शाखा प्रभारी, पुलिस लाइन स्टाफ, महिला पुलिस कर्मी तथा प्रशिक्षु रिक्रूट आरक्षीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में सामूहिक **शपथ ग्रहण** कराया गया, जिसमें सभी अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने संकल्प लिया कि वे महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलते हुए सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और सेवा भाव से कार्य करेंगे। साथ ही यह भी शपथ ली गई कि समाज में शांति, सौहार्द और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और जनमानस का विश्वास अर्जित करेंगे। इसके उपरांत राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया। वातावरण में देशभक्ति एवं प्रेरणा का भाव व्याप्त हो गया और सभी ने निश्चय किया कि वे इन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन एवं कार्यशैली में अपनाकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देंगे।

<u>पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिला थाना परिसर में शिशु गृह की स्थापना की गयी ।</u>

आज दिनांक 02.10.2025 को महिला थाना, जनपद शामली पुलिस द्वारा *मिशन शक्ति फेज 5.0* के तहत महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता और सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला थाना परिसर में स्थित *महिला शक्ति केंद्र* में शिशु गृह की स्थापना की गई, जिसका फीता काटकर शुभारंभ **पुलिस अधीक्षक, शामली श्री एन0पी0 सिंह** द्वारा किया गया।

शिशु गृह का मुख्य उद्देश्य ड्यूटी कर रही महिला कर्मचारियों के बच्चों तथा फरियादियों के बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इससे महिला पुलिस कर्मियों को निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का अवसर मिलेगा और बच्चों की देखभाल सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस कार्यक्रम के दौरान **क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमरदीप मौर्य, क्षेत्राधिकारी यातायात श्रीमती अपेक्षा निम्बाड़िया, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती मोनिका चौहान** एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतत जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें और मिशन शक्ति के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से लागू करें।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत सर्किल स्तर के थानों पर भी शिशु गृह की स्थापना की जानी है। इसी क्रम में महिला थाना में शिशु गृह का शुभारंभ किया गया है और शेष थानों में भी यह कार्यवाही प्रचलित है, ताकि समग्र रूप से पूरे जनपद में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिशु गृह की स्थापना और मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत आयोजित यह कार्यक्रम जनपद शामली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 30.09.2025 को थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा नाबालिग से छेडछाड की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थानाभवन को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड़ करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बहादुर पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम खेड़ागदाई थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 02.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.नदीम पुत्र सलाउद्दीन निवासी मौहल्ला प्रेमनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI